

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक-एफ-19(2)Edu.-2/2018 दिनांक-05.10.2018 में अंकित सेवा शर्तों (Terms and Condition) के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के निम्नांकित अध्यापिकाओं की प्रतिनियुक्ति राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के अधीन संचालित कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अद्यौहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम (सुश्री/श्रीमती)	मूल विभाग में पद व.अ. /अध्यापक	लेवल	विषय	वर्तमान में पदस्थापन स्थान	केजीबीवी जिसके लिए चयन किया गया है
1	2	3	4	5	6	7
1	मणि बागोरिया	अध्यापिका	द्वितीय	अंग्रेजी	राआउमावि, पीपलखूंट जिला प्रतापगढ	राजपुरबडा, राजगढ, अलवर
2	स्वाति मेहरा	अध्यापिका	द्वितीय	अंग्रेजी	राआउमावि, देवगढ जिला राजसमंद	रामगढ पंचवारा, दौसा
3	कमलेश मीना	अध्यापिका	द्वितीय	हिन्दी	रा.रामदान इण्डिया उमावि, मोकलसर(सिवाना) बाडमेर	रानीबडौद, किशनगंज, बारा
4	तारा यादव	अध्यापिका	द्वितीय	हिन्दी	राआउमावि, माण्डोली नगर, पं. स. जसवन्तपुरा, जालौर	आंकोली, जालौर
5	कमला देवी	अध्यापिका	प्रथम	-	राआउमावि, मुडतरा सिलि. जालौर	जैतारण, पाली
6	संगीता कुनावत	अध्यापिका	द्वितीय	हिन्दी	राउमावि, एड सिणधरी, अमरसिंह, बाडमेर	उम्मेदाबाद, सायला, जालौर
7	भवरी देवी	अध्यापिका	प्रथम	-	रामावि, कूका, पं.स. भीलमान, जालौर	अरणाय, साचौर, जालौर
8	विमला कुमारी	अध्यापिका	प्रथम	-	राआउमावि, छीबा गांधी, शिवगंज, सिरौही	बडगांव, शिवगंज, सिरौही
9	शारदा कुमारी	अध्यापिका	द्वितीय	गणित/ विज्ञान	राउमावि, माण्डवला, पं.स. सायला जिला जालौर	मौलासर, नागौर
10	रेखा सोनी	अध्यापिका	प्रथम	-	राबामावि, सवराडा, पाली	रूप, मूण्डवा, नागौर
11	नीलू गंगवाल	अध्यापिका	द्वितीय	गणित/ विज्ञान	राउमावि, कंवलियास, हुरडा जिला भीलवाडा	खातोली, किशनगढ, अजमेर
12	मनोज कुमारी	अध्यापिका	द्वितीय	अंग्रेजी	राआउमावि गोदन, जालौर	टिब्बी इण्डियनगढ
13	रेखा बोहरा मत्तड	अध्यापिका	द्वितीय	हिन्दी	केजीबीवी रतकुडिया पीपाडशहर, जोधपुर	पीपावर, मण्डेर जोधपुर



14	प्रमिला चौधरी	अध्यापिका	द्वितीय	सामाजिक विज्ञान	रामावि, हरखाली सिंगोडिया बायतु बाडमेर	फलौदी, जोधपुर
15	हीरामणी	अध्यापिका	द्वितीय	विज्ञान	रामावि, मकवानों की ढाणी, सिणधरी, बाडमेर	महिलावास, सिवाना, बाडमेर
16	प्रजापति कलावती रामजीलाल	अध्यापिका	द्वितीय	गणित/विज्ञान	राउमावि, कुण्डीखेडा, पं रा भवानी मण्डी, झालावाड	चकरी, सवाई माधोपुर
17	मधुलता तिवारी	अध्यापिका	द्वितीय	विज्ञान	राउमावि, बडी उदेई, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर	डीग, भरतपुर
18	रेणुका भट्ट	अध्यापिका	प्रथम	-	राआउमावि, चिकारडा, डूगला जिला चित्तौडगढ	खेरोदा, भीण्डर, उदयपुर
19	ममता कंवर	अध्यापिका	प्रथम	-	आदर्श राउमावि, भैरुगढ, रेवदर जिला सिरोही	ताणा, भूपालसागर, चित्तौडगढ

The deputation will be on the following terms and conditions: -


1	Pay	As per Govt. rules and other special allowance are given vide order no. F.3(1)Ele. Edu./2011 of Principal Secretary Education, Govt. of Rajasthan Dated 25.02.2011
2	D.A.	Dearness Allowances will be regulated under the rules of the parent Govt. or and the rules of borrowing Govt./Foreign employer according as pay is drawn in the parent pay scale or in pay scale of post held on deputation.
3	Travelling Allowance	Travelling Allowance shall be admissible according to the rules of borrowing Govt./Foreign employer or under the rules of parent Govt./Council whichever is more beneficial.
4	Other Allowance e.g. Compensatory Allowance, City Allowance, House Rent Allowance	Compensatory (City Allowance, HRA shall be admissible according to the rules of the parent Govt. or borrowing authority whichever is more beneficial.)
5	Medical Attendance	Medical concession shall be admissible according to the rules of borrowing Govt./Foreign employer or under the rules of parent Govt./Council whichever is beneficial.
6	(a) Pension Contribution	(a) During the period of deputation he will be governed by the pension rule of the lending authority or parent employer applicable to him before such transfer. The pension contribution shall be paid by the borrowing authority/foreign employer in accordance in the provisions contained in RSR.
	(b) Leave Salary	(b) Recovery of leave salary contribution in respect of Govt. servant shall not be made. The payment of leave salary including leave encashment benefits in respect of leave taken by a Government servant while on deputation/foreign service shall be made by the borrowing authority / foreign employer in discharge of their liability to pay the cost of leave salary to the Government payment of leave salary of Government servant who takes leave on the conclusion of the foreign service before rejoining his post under The Government. The liability of payment of leave salary in such case shall be borne by the borrowing authority in accordance with the finance department order No. F 7 (7)(43) Rules/58 dated 21 1 81.
7	Joining Time pay & T.A. for the journey on transfer to foreign service and on reversion there from	To be paid by the foreign employer.
8	Leave Salary not leave contribution in respect of disability leave that may be guarantor on account of any disability incurred through such foreign Service even though disability manifests itself the expiry of foreign service.	To be paid by the foreign employer.

9	Period of deputation	One year from the date of joining or end of the project whichever is earlier
---	----------------------	--

नोट:-

01- जिन कर्मियों को परियोजना में प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त हुए 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है एवं जिनके वेतन किसी भी प्रकार की विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है एवं दो वर्ष का परीक्षा काल पूर्ण नहीं किया है, उन्हें कार्यमुक्त कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

02- जिन कर्मियों की नियुक्ति राजस्थान ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2012 के अन्तर्गत हुई है, उन्हें कार्यमुक्त कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

 05/10/18

(निधमल डिंडेल)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शेडर-न/सस्थ/रज-3/13406/एसएसए/प्रतिनियु./2018

दिनांक- 05/10/18

उद्देश्य:-नेत्रों को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख शसन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर
- 2- संयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, परिषद मुख्यालय, जयपुर
- 3- राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, परिषद मुख्यालय जयपुर
- 4- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- 5- सनस्त संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय
- 6- सनस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 7- सनस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक)
- 8- सनस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 9- संबंधित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी/कार्मिक
- 10- मैन्स्टान एनएलएस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- 11- रक्षित प्रतिलिपि



संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर